



C.F.-26-4-13

माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर, खण्डपीठ (सर्किट).

इंदौर जिला इंदौर

R. 1809-PB&L3

रा० निगरानी को०

/ 2013

प्रस्तुति दिनांक :

4.2013

*laloo
26/04/2013
✓*

छुट्टन चाचा पिता श्री गुलाब घोसी,
आयु 60 साल, व्यवसाय कृषि,
निवासी मुस्लिमबस्ती, महू जिला इंदौर
विरुद्ध

अशोक मेहता पिता मानमल मेहता,
तर्फे अध्यक्ष, अहिंसा पर्वत,
उम्र वयस्क, धंधा व्यापार,
निवासी 75-सी, संगमनगर, इंदौर,
जिला इंदौर

.... प्रार्थी

... प्रतिप्रार्थी

॥ रिविजन धारा 50 म०प्र०भ००रा०संहिता के अन्तर्गत ॥

श्री सप्नेश्वर गवे
उम्मीदार
आज दिनांक 25-4-13
को इन्दौर क्र०पूर
उत्तुत।

Glm
25-4-13

प्रार्थी का सादर निवेदन है कि :-

प्रार्थी यह रिविजन श्रीमान अपर तेहसीलदार महोदय, डॉ०
अम्बेडकरनगर, महू जिला इंदौर के द्वारा राजस्व प्रकरण को०
13/अ-13/2012-2013 (अशोक मेहता विरुद्ध छुट्टन चाचा) में दि०
5.4.2013 को पारित आरम्भतः शून्य अंतरिम आदेश जिसके माध्यम से
प्रार्थी द्वारा रास्ता अवरुद्ध ना किए जाने संबंधी आदेश पारित किए गए
है एवं अवरोध को 7 दिवस में हटाने बाबद आदेश दिए गए है, से
असंतुष्ट होकर प्रार्थी यह रिविजन सादर प्रस्तुत करता है कि:-

*✓
1-5-13*

कुरुक्षेत्र पालियर / ०८२११५

(5)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक..... १८०९-१०/१३ जिला उदयी

स्थान तथा दिनांक	कार्यकारी तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.४.२०१६	<p>आवेदक की ओर से खुब्बा उपरांत कोई भी उपलिपत नहीं। दिनांक १५.५.२०१५ की पेशी पर श्री विनम डी० रामटोके अधिभासक उपलिपत दृश्य है। तब से कम्बा सम्म व्यतीत होने के उघटात भी आवेदक की ओर से कोई उपलिपत नहीं हो रही है। अतः प्रक्रिया आदेश पैकी में निरस्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">अधिकारी</p>	